तटीय जलयान अधिनियम, 1838

धाराओं का क्रम

धाराएं

1. विस्तार ।

2. भारत के किसी नागरिक के तटीय और अन्य जलयानों के बारे में नियम ।

3. जलयानों पर, स्थान का नाम और संख्यांक का लिखा जाना या उनकी छाप लगाना ।

4. नाम, संख्यांक और टनभार की रजिस्ट्री ।

5. स्वामियों का रजिस्ट्री के लिए आवेदन करना ।

6. चिह्न और छाप लगाने का कर्तव्य पालन करने वाले अधिकारी ।

7. स्वामी का रजिस्ट्री प्रमाणपत्र प्राप्त करना । खोए हुए प्रमाणपत्र का प्रतिस्थापन ।

8. प्रमाणपत्र को मुद्रांकित करना ।

9. प्रमाणपत्र और रजिस्ट्रीकरण के प्रारंभ के लिए तारीखें ।

10. प्रमाणपत्र के लिए फीस ।

11. फीस का सरकार के नाम जमा किया जाना ।

12. मांग पर प्रमाणपत्र का पेश किया जाना ।

13. नियमों का पालन करने में उपेक्षा के लिए शास्ति ।

14. अभिग्रहण में कठिनाई के लिए प्रतिकर निदिष्ट करने की शक्ति ।

15. पत्तन-निकास ।

अनुसूची ।

[1][[2]*** तटीय जलयान अधिनियम, 1838]

(1838 का अधिनियम संख्यांक 19)

[27 अगस्त, 1838]

[3][**1. विस्तार**—इस अधिनियम का विस्तार प्रथमत: [4][उन राज्यक्षेत्रों पर है, जो 1 नवम्बर, 1956 से ठीक पूर्व] मुम्बई, सौराष्ट्र और कच्छ राज्यों में [4][समाविष्ट थे] किन्तु केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इसका विस्तार किसी ऐसे अन्य राज्य [5][या राज्य के भाग] पर भी कर सकती है, जिसमें समुद्र तट हैं ।]

2. भारत के किसी नागरिक के तटीय और अन्य जलयानों के बारे में नियम—[6]*** [7][भारत के किसी नागरिक] के [8]*** और [9][किसी ऐसे राज्य [5][या राज्य के भाग] के, जिस पर इस अधिनियम का विस्तार है] समुद्रतट पर प्रयुक्त या तटवार व्यापार में प्रयुक्त जलयानों के सम्बन्ध में तथा [10][किसी ऐसे नागरिक] की मछियारी नौकाओं और बन्दरगाह-यानों के सम्बन्ध में भी निम्नलिखित नियम प्रयुक्त होंगे ।

3. जलयानों पर, स्थान का नाम और संख्यांक का लिखा जाना या उनकी छाप लगाना—[11]*** यथापूर्वोक्त प्रयुक्त प्रत्येक ऐसे जलयान, मछियारी नौका और बन्दरगाह-यान पर उस स्थान का नाम, जिसका वह है, तथा इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित रजिस्ट्री करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसके लिए नियत संख्यांक भी, लिखा जाएगा या उसकी छाप लगाई जाएगी;

नाम और संख्यांक का स्वामी द्वारा रंग से लिखाया जाना—और यथापूर्वोक्त प्रयुक्त ऐसे जलयान, मछियारी नौका और बन्दरगाह-यान के स्वामी, ऐसे ही नाम और संख्यांक को यथापूर्वोक्त प्रयुक्त ऐसे जलयान, मछियारी नौका के और बन्दरगाह यान के प्रत्येक चौथाई भाग में सफेद जमीन पर काले रंग से अंग्रेजी अंकों और अक्षरों में लिखवाएंगे और प्रत्येक अंक और अक्षर छह इंच लंबा होगा ।

4. नाम, संख्यांक और टनभार की रजिस्ट्री—[11]*** यथापूर्वोक्त प्रयुक्त प्रत्येक ऐसे जलयान, मछिआरी नौका और बन्दरगाह-यान का नाम और संख्यांक, तथा उसका टनभार, और स्वामी या स्वामियों के नाम भी एक पुस्तक में रजिस्टर किए जाएंगे, जो उस प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा रखी जाएगी जिसे ऐसी रजिस्ट्री करने के लिए इसमें इसके पश्चात् निर्दिष्ट किया गया है ।

रजिस्ट्री किसके द्वारा की जाएगी । नया रजिस्ट्रीकरण—मुम्बई में ऐसी रजिस्ट्री [12][समुद्री वाणिज्यिक विभाग के प्रधान अधिकारी] द्वारा और [13]*** अन्य संस्थानों में क्रमश: ऐसे स्थानों के [14][सीमाशुल्क आयुक्त] द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा की जाएगी जो इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के निमित्त, क्रमश: ऐसे स्थानों में काम करने के लिए [15][केन्द्रीय सरकार] द्वारा नियुक्त किया जाए, और जब कभी यथापूर्वोक्त प्रयुक्त ऐसे जलयान, मछियारी नौका या बन्दरगाह-यान के टनभार में अथवा उसके स्वामी या स्वामियों के नाम या नामों में कोई परिवर्तन होता है, तब ऐसी रजिस्ट्री पुन: की जाएगी :

---

[1] संक्षिप्त नाम मुम्बई संक्षिप्त नाम अधिनियम, 1921 (1921 का मुम्बई अधिनियम सं० 2) द्वारा दिया गया है ।

यह अधिनियम, विधि स्थानीय विस्तार अधिनियम, 1874 (1874 का 15) की धारा 5 द्वारा अनुसूचित जिलों के सिवाय सम्पूर्ण बाम्बे प्रेसिडेन्सी पर प्रवृत्त घोषित किया गया ।

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 461 और अनुसूची द्वारा जहां तक वह यांत्रिक प्रकार के प्रणोदन लगे हुए समुद्री पोतों और पाल नौकाओं को लागू होता है यह अधिनियम निरसित किया गया ।

1963 के विनियम सं० 7 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा (1-10-1963 से) यह अधिनियम पाण्डिचेरी में प्रवृत्त हुआ ।

1962 के विनियम सं० 12 और अनुसूची द्वारा उपान्तरणों सहित गोवा, दमण और दीव को तथा 1965 के विनियम सं० 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (1-10-1968 से) लक्षद्वीप, मिनीकाय और अमीन दीवी द्वीप समूह को विस्तारित किया गया ।

[2] 1952 के अधिनियम सं० 22 की धारा 3 द्वारा "मुम्बई" शब्द का लोप किया गया ।

[3] 1952 के अधिनियम सं० 22 की धारा 4 द्वारा अन्त:स्थापित । मूल धारा 1 का 1870 के अधिनियम सं० 14 की धारा 1 और अनुसूची, भाग 2 द्वारा निरसन किया गया था ।

[4] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "राज्यों को" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा अन्त:स्थापित ।

[6] 1874 के अधिनियम सं० 16 की धारा 1 और अनुसूची, भाग 1 द्वारा "और एतद्द्वारा यह अधिनियमित किया जाता है कि उक्त 1 नवम्बर, 1838 से" शब्दों और अंकों का निरसन किया गया ।

[7] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "हर मजेस्टी के किसी नागरिक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[8] 1952 के अधिनियम सं० 22 की धारा 5 द्वारा "मुम्बई राज्य के भीतर निवास करने वाले" शब्दों का लोप किया गया ।

[9] 1952 के अधिनियम सं० 22 की धारा 5 द्वारा "उक्त राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[10] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "हर मजेस्टी के उन्हीं नागरिकों में से कोई" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[11] 1874 के अधिनियम सं० 16 की धारा 1 और अनुसूची, भाग 1 द्वारा "और एतद्द्वारा यह अधिनियमित किया जाता है कि" शब्दों का निरसन किया गया ।

[12] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 (जैसा कि सं०आ० 29, तारीख 4-4-1951 से संशोधित किया गया है) द्वारा (26-1-1950 से) "मास्टर अटैण्डेन्ट" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[13] 1952 के अधिनियम सं० 22 की धारा 6 द्वारा "उक्त राज्य के भीतर" शब्दों का लोप किया गया ।

[14] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 82 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[15] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "मुम्बई सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

परन्तु यथापूर्वोक्त प्रयुक्त ऐसे जलयान, मछियारी नौका या बन्दरगाह-यान को कोई ऐसा नाम देना विधिसम्मत नहीं होगा जो उस नाम से भिन्न है जिस नाम से वह पहले रजिस्टर किया गया था ।

5. स्वामियों का रजिस्ट्री के लिए आवेदन करना—[1]*** यथा पूर्वोक्त प्रयुक्त प्रत्येक ऐसे जलयान, मछियारी नौका और बन्दरगाह-यान के स्वामी उसके सम्बन्ध में रजिस्ट्री करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को आवेदन करेंगे जिससे कि यथापूर्वोक्त रजिस्ट्री कर दी जाए, या जिससे कि यथापूर्वोक्त रजिस्ट्री फिर से कर ली जाए ।

गोण पत्तन पर रजिस्ट्री की इत्तिला—और जब कभी यथापूर्वोक्त प्रयुक्त ऐसा जलयान, मछियारी नौका या बन्दरगाह-यान किसी गौण पत्तन पर रजिस्ट्रर किया जाता है, तब उसकी और उसके लिए नियत संख्यांक की इत्तिला रजिस्ट्री करने वाले अधिकारी द्वारा मुम्बई में [2][वाणिज्यिक समुद्री विभाग के प्रधान अधिकारी] को तुरन्त दी जाएगी ।

6. चिह्‌न और छाप लगाने का कर्तव्य पालन करने वाले अधिकारी—[1]*** यथापूर्वोक्त प्रयुक्त ऐसे जलयानों, मछियारी नौकाओं और बन्दरगाह-यानों पर मुम्बई में नाम लिखने या छाप लगाने और उनका टनभार अभिनिश्चित करने के कर्तव्य का पालन [2][वाणिज्यिक समुद्री विभाग के प्रधान अधिकारी] द्वारा किया जाएगा, और यथापूर्वोक्त प्रयुक्त जलयानों, मछियारी नौकाओं और बन्दरगाह-यानों पर नाम लिखने या छाप लगाने और उनका टनभार अभिनिश्चित करने के कर्तव्य का पालन [3]*** अन्य सब स्थानों पर, क्रमश: ऐसे स्थानों पर [4][सीमाशुल्क आयुक्त] द्वारा अथवा ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जो इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के निमित्त, क्रमश: ऐसे स्थानों में काम करने के लिए [5][केन्द्रीय सरकार] द्वारा नियुक्त किए जाएं ।

7. स्वामी का रजिस्ट्री प्रमाणपत्र प्राप्त करना । खोए हुए प्रमाणपत्र का प्रतिस्थापन—[1]*** यथापूर्वोक्त प्रयुक्त प्रत्येक जलयान, मछियारी नौका और बन्दरगाह-यान के स्वामी, यथापूर्वोक्त रजिस्ट्री करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को रजिस्ट्री प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करेंगे और उससे वह प्रमाणपत्र प्राप्त करेंगे तथा ऐसा प्रमाणपत्र इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप में होगा; और इस प्रमाणपत्र के खो जाने या नष्ट हो जाने की दशा में नवीकृत प्रमाणपत्र, उसी रीति से और उतनी फीस देने पर, जितनी इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित है, प्राप्त किया जा सकेगा ।

8. प्रमाणपत्र को मुद्रांकित करना—[1]*** ऐसा रजिस्ट्री प्रमाणपत्र [6][भारत सरकार] की मुद्रा से मुद्रांकित किया जाएगा और ऐसी रजिस्ट्री करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति उस पर हस्ताक्षर करेगा ।

9. [प्रमाणपत्र और रजिस्ट्रीकरण के प्रारंभ के लिए तारीखें ।]—निरसन अधिनियम, 1876 (1876 का 12) की धारा 1 और अनुसूची, भाग 1 द्वारा निरसित ।

[7][**10. प्रमाणपत्र के लिए फीस**—यथापूर्वोक्त प्रयुक्त जलयानों के (मछियारी नौकाओं और बन्दरगाह-यानों का अपवर्जन करके) स्वामी यथापूर्वोक्त रजिस्टर कर लिए जाने पर निम्नलिखित रूप से संदाय करेंगे—

पांच टन से अनधिक टनभार के जलयान के प्रत्येक रजिस्ट्री प्रमाणपत्र के लिए फीस. . . एक रुपया

पांच टन से अधिक टनभार के और 25 टन से अनधिक टनभार के जलयान के प्रत्येक प्रमाणपत्र के लिए फीस. . . . . पांच रुपए

25 टन से अधिक टनभार के और 100 टन से अनधिक टनभार के जलयान के प्रत्येक प्रमाणपत्र के लिए फीस. . . . . सात रुपए

100 टन के या उससे अधिक टनभार के जलयान के प्रत्येक प्रमाणपत्र के लिए फीस प्रति टन. . . दो आने ।]

11. फीस का सरकार के नाम जमा किया जाना—[1]*** यथापूर्वोक्त रजिस्ट्री करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति उसके लिए संदेय फीस प्राप्त करेंगे और वह फीस ऐसे अधिकारी को देंगे, जिसे [8][केन्द्रीय सरकार] नियुक्त करे; ऐसी फीस [5][केन्द्रीय सरकार] के नाम जमा की जाएगी :

[9][परन्तु कोई ऐसी फीस, जो [10][संविधान] के प्रारम्भ से ठीक पूर्व उस समय यथा प्रवृत्त इस अधिनियम के अधीन [11][प्रांतीय सरकार] के नाम जमा की जानी थी, ऐसे अधिकारी को दी जाएगी जिसे राज्य सरकार नियुक्त करे और उस सरकार के नाम जमा की जाएगी ।]

---

[1] 1874 के अधिनियम सं० 16 की धारा 1 और अनुसूची, भाग 1 द्वारा "और एतद्द्वारा यह अधिनियमित किया जाता है कि" शब्दों का निरसन किया गया ।

[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 (जैसा कि सं०आ० 29, तारीख 4-4-1951 से संशोधित किया गया है) द्वारा (26-1-1950 से) "मास्टर अटैण्डेन्ट" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1952 के अधिनियम सं० 22 की धारा 7 द्वारा "मुम्बई राज्य के भीतर" शब्दों का लोप किया गया ।

[4] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 82 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[5] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "मुम्बई सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "ईस्ट इण्डिया कंपनी" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[7] 1952 के अधिनियम सं० 22 की धारा 8 द्वारा मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[8] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् मुम्बई का गवर्नर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[9] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अंत:स्थापित ।

[10] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "भारत शासन अधिनियम, 1935 का भाग 3" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[11] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "स्थानीय शासन" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

12. मांग पर प्रमाणपत्र का पेश किया जाना—[1]*** यथापूर्वोक्त प्रयुक्त प्रत्येक जलयान, मछियारी नौका और बन्दरगाह-यान के स्वामी या स्वामियों या कमांडर द्वारा [2]*** सीमाशुल्क के किसी अधिकारी या [3]*** नौसेना के किसी अधिकारी की मांग पर, वह प्रमाणपत्र पेश किया जाएगा जिसके लिए यथापूर्वोक्त प्रयुक्त जलयान, मछियारी नौका या बन्दरगाह-यान के संबंध में, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, आवेदन किए जाने और प्राप्त करने का निदेश दिया गया है ।

13. नियमों का पालन करने में उपेक्षा के लिए शास्ति—[1]*** उस दशा में, जिसमें यथापूर्वोक्त प्रयुक्त किसी जलयान, मछियारी नौका या बन्दरगाह-यान पर, इसमें इसके पूर्व निदिष्ट प्रकार से, नाम न लिखा गया हो या छाप न लगाई गई हो, अथवा उस दशा में, जिसमें यथापूर्वोक्त प्रयुक्त किसी जलयान, मछियारी नौका या बन्दरगाह-यान पर उसका नाम और संख्यांक रंग से उस प्रकार से न लिखा गया हो, या यथापूर्वोक्त प्रयुक्त जलयान, मछियारी नौका या बन्दरगाह-यान पर उसका नाम और संख्यांक रंग से उस प्रकार से न लिखा हो जैसे कि इसमें इसके पूर्व निर्दिष्ट है;

अथवा उस दशा में, जिसमें यथापूर्वोक्त प्रयुक्त जलयान, मछियारी नौका या बन्दरगाह-यानों को इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट प्रकार का प्रमाणपत्र न दिया गया हो, या उस दशा में, जिसमें यथापूर्वोक्त प्रयुक्त किसी जलयान, मछियारी नौका या बन्दरगाह-यान के स्वामी या स्वामियों या कमाण्डर द्वारा इसमें इसके पूर्व निर्दिष्ट रीति से उसके लिए मांग किए जाने पर, ऐसे प्रमाणपत्र को पेश न किया गया हो;

यथापूर्वोक्त प्रयुक्त प्रत्येक जलयान का स्वामी, ऐसे जलयान के रजिस्ट्री प्रमाणपत्र के संबंध में संदेय फीस की रकम के दस गुने के बराबर जुर्माने से दण्डनीय होगा यदि वह जलयान ऐसा जलयान है जिसके रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के लिए कोई फीस संदेय है, और किसी ऐसी मछियारी नौका या बन्दरगाह-यान का स्वामी दस रुपए के जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

शास्तियों की वसूली—ऐसा जुर्माना [2]*** अधिकारिता वाले किसी मजिस्ट्रेट [4]*** के समक्ष दोषसिद्धि पर ऐसे जलयान, मछियारी नौका या बन्दरगाह-यान, उसके फर्नीचर, गोला-बारूद, टेकल और साज-सामान के विक्रय से वसूल किया जा सकेगा ।

व्यतिक्रम की पुनरावृत्ति पर शास्ति—और ऐसे जुर्माने उतनी बार संदेय होंगे जितनी बार यथापूर्वोक्त प्रयुक्त किसी जलयान, मछियारी नौका या बन्दरगाह-यान का स्वामी या कमाण्डर पूर्वोक्त प्रकार का व्यतिक्रम करेगा; परन्तु यह तब जबकि प्रत्येक ऐसा पश्चात्वर्ती व्यतिक्रम, पिछली दोषसिद्धि की तारीख से एक मास की समाप्ति के पश्चात् किया जाए ।

14. अभिग्रहण में कठिनाई के लिए प्रतिकर निदिष्ट करने की शक्ति—[1]*** [5][केन्द्रीय सरकार] यथापूर्वोक्त प्रयुक्त जलयान, मछियारी नौका या बन्दरगाह-यान, बन्दूकों, फर्नीचर, टैकल, गोला-बारूद और साज सामान को, जैसा कि पहले उल्लिखित है, अभिगृहीत करने में होने वाली किसी कठिनाई और परिश्रम के लिए उस व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिसने या जिन्होंने उनका अभिग्रहण किया हो, उतनी रकम तक प्रतिकर, ऐसी रीति से और ऐसे अंशों और अनुपातों में, जो [6][केन्द्रीय सरकार] ठीक समझे ऐसे अभिग्रहण से प्राप्त धन में से दिया जाना निदिष्ट कर सकेगी ।

15. [पत्तन-निकास ।]—भागत: निरसन अधिनियम, 1874 (1874 का 16) की धारा 1 और अनुसूची, भाग 1 द्वारा निरसित और भागत: निरसन अधिनियम, 1876 (1876 का 12) की धारा 1 और अनुसूची, भाग 1 द्वारा निरसित ।

अनुसूची

यह प्रमाणित किया जाता है कि (यहां स्वामियों के नाम, उपजीविका और पते का उल्लेख कीजिए) द्वारा यह घोषित किए जाने पर कि वह या वे (यहां काम लिखिए) नामक जलयान (मछियारी नौका या बन्दरगाह-यान) के एकमात्र स्वामी हैं, जिसका टनभार ([7][टनों] की संख्या लिखिए) है और कि उक्त जलयान (मछियारी नौका या बन्दरगाह-यान) (कब और कहां निर्मित किया था यह लिखिए) निर्मित किया गया था, तथा उक्त जलयान (मछियारी नौका या बन्दरगाह यान) को (पत्तन का नाम दीजिए) पत्तन में सम्यक् रूप से रजिस्टर कर लिया गया है ।

मेरे हस्ताक्षर से प्रमाणित ।

अधिकारी के हस्ताक्षर

[1] 1874 के अधिनियम सं० 16 की धारा 1 और अनुसूची, भाग 1 द्वारा "और एतद्द्वारा यह अधिनियमित किया जाता है कि" शब्दों का निरसन किया गया ।
[2] 1952 के अधिनियम सं० 22 की धारा 6 द्वारा "उक्त राज्य के भीतर" शब्दों का लोप किया गया ।
[3] 1876 के अधिनियम सं० 12 की धारा 1 और अनुसूची, भाग 1 द्वारा "भारतीय" शब्द का लोप किया गया ।
[4] 1876 के अधिनियम सं० 12 की धारा 1 और अनुसूची, भाग 1 "जस्टिस आफ पीस या मजिस्ट्रेट की शक्ति का प्रयोग कर रहा व्यक्ति" शब्दों का लोप किया गया ।
[5] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् मुम्बई का गवर्नर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] 1952 के अधिनियम सं० 22 की धारा 9 द्वारा "मुम्बई खण्डीस" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।